न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/91 दिनांक 18.1.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 613/16 अनवान सुजानाराम वगैरा बनाम नरेश वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 613/16 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 10.01.2018 को पारित किया गया है। जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 18.01.18 को पारित किया गया जिसकी पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – संशोधित निर्णय दिनांक 18.01.18 की प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 613/16 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. सुजानाराम 2.सोनाराम पि. नरसिंगाराम 3.भेरा 4.हरीराम 5.जोधा 6. ठाकरा पि. रिड़मल जातियान विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. नरेश 2.अशोक 3.श्यामलाल 4.भजनलाल पि.नीम्बा 5.चनणी पत्नि नीम्बा 6.भगा 7.भीखा 8.पेमा पि.काना 9.रामनिवास 10.श्रवण कुमार पि.सुरताराम 11.धर्मीदेवी पत्नि सुरताराम जातियान विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर। 12.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री रूपसिंह राठौड़, श्री शाकर खान

विप्रार्थीगण वकील :– श्री हुकमसिंह गोदारा

संशोधित निर्णय

दिनांक 18.01.18

उपरोक्त आवेदन में निर्णय दिनांक 10.01.2018 को पारित किया गया । जिसके संबंध में प्रार्थी सुजानाराम पुत्र नरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते पिता के नाम में संशोधन करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आवेदन के निर्णय में प्रार्थी के पिता का नाम लिपिकीय त्रुटि से रिड़मलराम अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक एवं सही नाम नरसिंगाराम है जिसे संशोधित करते हुए सही किया जावे।

न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 के प्रथम पृष्ठ के पैरा सं. 1 में अंकित प्रार्थीगण सुजानाराम पुत्र रिड़मलराम वगैरा जाति विश्नोई के स्थान पर प्रार्थीगण सुजानाराम पुत्र नरिसंगाराम वगैरा जाति विश्नोई शुद्ध करते हुए संशोधन किया जाता है। आदेश आज दिनांक 18.01.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

पत्रावली पुनः फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 613/16 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. सुजानाराम 2.सोनाराम पि. नरसिंगाराम 3.भेरा 4.हरीराम 5.जोधा 6. ठाकरा पि. रिड़मल जातियान विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. नरेश 2.अशोक 3.श्यामलाल 4.भजनलाल पि.नीम्बा 5.चनणी पत्नि नीम्बा 6.भगा 7.भीखा 8.पेमा पि.काना 9.रामनिवास 10.श्रवण कुमार पि.सुरताराम 11.धर्मीदेवी पत्नि सुरताराम जातियान विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
12.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री रूपसिंह राठौड़, श्री शाकर खान

विप्रार्थीगण वकील :– श्री हुकमसिंह गोदारा

निर्णय

दिनांक 10.01.18

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

प्रार्थीगण सुजानाराम पुत्र रिड़मलराम वगैरा जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा जम्भेश्वर नगर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 536 रकबा 27.09 बीघा एवं खसरा सं. 539 रकबा 10.11 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 538 रकबा 27.11 बीघा मौजा जम्भेश्वर नगर में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हुकमसिंह गोदारा उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं को मौका रिपोर्ट स्वीकार है।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	538	27.11 बीघा	बा.दो.	20 फीट	00.13	जम्भेश्वर नगर	**नरेश, अशोक, श्यामलाल, भजनलाल पि.नीम्बा, चनणी पत्नि नीम्बा, भगा, भीखा, पेमा पि.काना, रामनिवास, श्रवण कुमार पि.सुरताराम, धर्मीदेवी पत्नि सुरताराम, कौम विश्नोई, सा. जम्भेश्वर नगर खातेदार**

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 538 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया बिन्दु A से B तक का रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित दर निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

रंग से दर्शाया गया बिन्दु A से B तक 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया बिन्दु A से B तक प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 10.01.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर चौहटन सत्यमेव जयते

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
चौहटन

L.R.
10/7/17

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 613/16 अनवान सुजाना राम बगेरा v/s नरेश बगेरा अन्तर्गत राज. काश्त. अधि. की धारा 251A में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी का पत्रांक/कु.अ./2017/1381 दि. 27.6.17

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण सुजानाराम बगेरा ने अपने खेत मौजा जम्भेश्वर नगर के ख.नं. 536 रकबा 27.09 बीघा व ख.नं. 539 रकबा 10.11 बीघा में आने-जाने हेतु इन दोनों खसरों के मध्य स्थित विप्रार्थीगण के नरेश बगेरा के खेत मौजा जम्भेश्वर नगर के ख.नं. 538 रकबा 27.11 बीघा में से 20 फिट चौड़ाई का रास्ता चाहा है।

मौतबरान के साथ मौके पर पहुँचकर मौका मुआयना किया गया एवं प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में उपयोग लिए जा रहे रास्ते बाबत जानकारी करने पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खेत में चाहे गए रास्ते की 20 फिट चौड़ाई की भूमि मौके पर खाली है तथा उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि में कोई कीमती पेड़ या मकान आदि नहीं है। प्रार्थीगण वर्तमान में विप्रार्थीगण के खेत में से ही कभी कहीं से, कभी कहीं से आना जाना करते हैं इसके अलावा प्रार्थीगण के आने जाने हेतु अन्य कोई स्थायी रास्ता नहीं है

Ex Count
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत ~~के~~ ख.नं. 538 रकबा 27.11 बीघा में से संलग्न नक्शे मे दर्शाये बिन्दु A से B तक प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है परन्तु उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमी A से B तक में से बिन्दु C से B तक का रकबा सरहद ओवरलेप से प्रभावित है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा (बीघों में)	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमी का रकबा	डी.एल.सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमी की कीमत	भूमी की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नरेश अशोक श्यामलाल भजन लाल पि. नोम्बा चन्दी w/o नोम्बा भगा भीखा पेमा पि. काना रामनिवास श्रवणकुमार पि. सुखाराम धर्मीदेवी पत्नि सुखाराम कौम बिश्नोई सा. जम्भेश्वर नगर खातेदार	538 मौजा जम्भेश्वर नगर	27.11 बीघा	20 फिट	0.13 बीघा (13 बिस्वा)	175501 आसिंचित सड़क से दूर	11408 रु (ग्यारह हजार चार सौ आठ रु मात्र)	बा. दो.

अत: प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 536 व 539 में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के ख.नं. 538 में से संलग्न नक्शे में बिन्दु A व B तक दर्शाये बरंग लाल ~~[illegible]~~ रकबे में कोई कीमती पेड़ या मकान नहीं होने व प्रार्थीगण के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त चाहा गया ~~रकबा~~ (0.13 बीघा) A से B तक का रकबा प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ते के लिए प्रस्तावित है।

Ex-Count

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

C.S

11.7.17

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

29-6-2017

ILR चौहटन

U/S 251A
RJ. ACT

मौका फर्द राजस्व आवेदन सं. 613/16 सुजानाराम V/S नरेश वगैरा

आज दिनांक 29.6.2017 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू.अ./2017/1381 दि 27.6.2017 की पालना में मा. न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी महो. चौहटन में राजस्व आवेदन सं. 613/16 अनवान सुजानाराम V/S नरेश वगैरा में वर्णित आराजी में मौके पर प्रार्थीगण व मौतबरों के साथ पहुँचा।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा चौहटन के ख.नं. 536 रकबा 27.09 बीघा व ख.नं. 539 रकबा 10.11 बीघा भूमि में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 538 रकबा 27.11 बीघा भूमि में से संलग्न नक्शे में बरंग दर्शाये अनुसार बिन्दु A से B तक चाहे गए रास्ते में आनेवाली भूमि का मौका मुआयना कर प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में उपयोग लिये जा रहे रास्ते बाबत जानकारी की गई।

प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 536 व 539 के आने जाने हेतु कोई स्थायी रास्ता नहीं है, विप्रार्थी के खेत ख.नं. 538 में से ही कभी-कही से कभी कहीं से आना जाना करते है। रास्ते में प्रस्तावित भूमि बिन्दु A से B, तक 20 फिट चौड़ाई में कोई कीमती पेड़ या मकान आदि मौजूद नहीं है और न ही प्रार्थीगण के खेत ख.नं 536 व 539 में आने जाने हेतु अन्य कोई स्थायी ~~वैकल्पि~~ वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त ख.नं 538 में 20 फिट चौड़ाई का रास्ता चाहा है। विप्रार्थीगण मौके पर नहीं आए।

Ex-court
सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

भगवानाराम
(भगवानाराम/हीराराम)

भागीरथराम
(भागीरथ/भारूराम)

29.6.17 (सुजानाराम- प्रार्थी)

I.R. चौहटन

मालाराम
मंगलाराम पु. किशनाराम

सुजानाराम
(सुजानाराम/हरचंदराम)

भूतराम
([illegible]/हाकराम)

ग्राम :- अमरेश्वरनगर तहसील - चौहटन

पैमाना १ इन्च = ८० गट्ठा

राजस्व आवेदन सं. 613/16
श्रीनवान सुजानराम V/S नरेश वगैरा
V/S - 251A RT Act

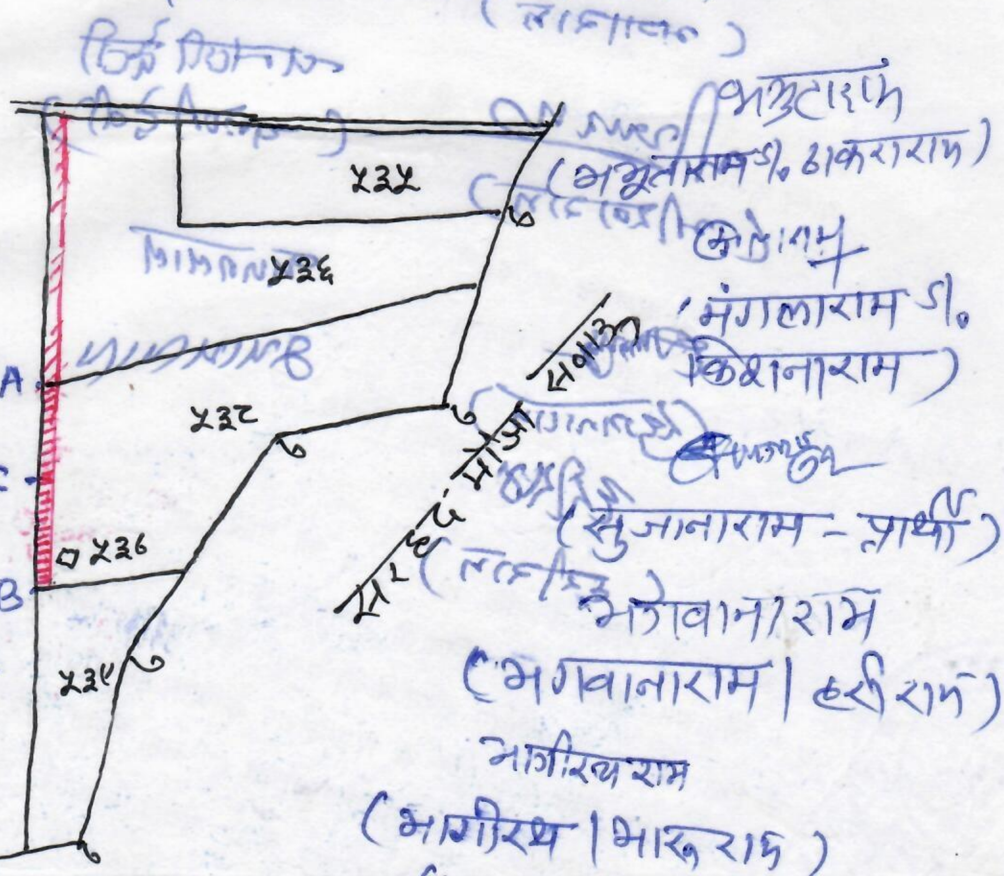

संकेत

▭▭▭ — प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार प्रस्तावित रास्ता A से B

Ex-Count

नोट - लगभग पूर्ण फटा होने से यथा सम्भव ट्रेस किया गया।

सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

C.S.
11.7.17
तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

P-35 की क्रमांक 7578 / 3.7.17 पर दर्ज
प्रमाणित प्रतिलिपि
3.7.17
पटवारी (भू.अ.) चौहटन
तहसील चौहटन